कार्यालय उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला- बड़वानी

अध्याय-2

सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं

सूचना का अधिकार इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा।

4- लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं:- (प्रत्येक लोक प्राधिकारी)

(क) लोक सूचना अधिकारी -

मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं औषधि निरीक्षक जिला- बड़वानी के अधीन सभी अभिलेखों को क्रमानुसार सूचीबद्ध सरल रूप में रखे जाने हेतु बिंदु क्र. 4 के (ख) में विस्तारपूर्वक ब्यौरा तैयार किया जाकर निम्नानुसार दिया जा रहा है।

(ख) I. अपने संगठन की विशिष्टियाँ कृत्य, और कर्तव्य -

खाद्य एवं औषधि प्रशासन, म.प्र. शासन भोपाल, के अंतर्गत जिला स्तर पर कार्यालय उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पदेन उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधीन औषधि निरीक्षक एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के द्वारा कार्य किया जाता है। महत्वपूर्ण रूप से औषधि निरीक्षक द्वारा जिले में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 ds प्रावधान एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के द्वारा जिले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के तहत कार्य किया जाता है।

II. अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य -

कार्यालय उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला- बड़वानी के अंतर्गत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्राप्त शक्तियों एवं कार्यो का उल्लेख निम्नानुसार है-

क्रं.	पदनाम	कर्तव्य
1.	श्री व्ही बी जैन पदेन, उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला- बड़वानी	जिला बड़वानी के अंतर्गत कार्यालय उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला- बड़वानी के विभाग प्रमुख के रूप में दायित्वों का निर्वहन, खाद्य के लायसेंस जारी करना, एवं नमूना कार्य करने के लिए पेपर स्लिप खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को जारी करना|अभियोजन मंजूरी देना, अन्य कार्य करना जो उसे खाद्य आयुक्त द्वारा सौपे जाएँ एवं आहरण अधिकारी के दायित्वों का सम्पादन करना A
2.	श्री गीतम पठेदिया औषधि निरीक्षक, जिला बड़वानी	जिले में स्थित थोक एवं खेरची औषधि विक्रय संस्थानों का निरीक्षण करना, ब्लड बैंक एवं स्टोरेज सेंटर का निरीक्षण करना, औषधि एवं कास्मेटिक के जांच हेतु नमूने लेना।
3.	श्री हीरालाल अवास्या मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिला बड़वानी	जिले में स्थित खाद्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण, रजिस्ट्रेशन एवं उनके नवीनीकरण से सम्बंधित कार्य एवं खाद्य पदार्थो के लीगल एवं सर्वे नमूने लेने का कार्य।
4.	श्री वेलसिंह मोरी खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिला बड़वानी	जिले में स्थित खाद्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण,रजिस्ट्रेशन एवं उनके नवीनीकरण से सम्बंधित कार्य एवं खाद्य पदार्थो के लीगल एवं सर्वे नमूने लेने का कार्य।
5.	श्री अजय कुमार दीक्षित सहायक ग्रेड-3	बजट सम्बन्धी समस्त कार्य का सम्पादन करना, अधिकारी कर्मचारियों के वेतन देयक एम. आर. टी. ए. एवं इनकी पंजियां संधारित करना।
6.	श्री जमालउद्दीन खान भृत्य	ऑफिस से सम्बंधित कार्यो का सम्पादन करना।

III. **विनिश्चय करने कीप्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमे पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है-**

औषधि निरीक्षक एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा सम्बंधित अधिनियम में निहित धाराओ एवं नियमो के अधीन रहते हुए कार्यो का सम्पादन किया जाता है।

IV. **अपने कर्त्तव्य के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान-**

कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उन्हें निर्धारित समय पर उपस्थित होना, आने वाले आवेदनों का एवं शिकायतों का समय पर निराकरण करना शासन पर उपलब्ध संसधानो के अधीन कार्य कोए जाते है।

V. **अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख-**

कार्यालय में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी को म. प्र. सिविल सेवा आचरण नियमो के अंतर्गत उन्हें सेवाएं देने के लिए समय-समय पर निर्देशित किया जाता है। साथ ही शासन द्वारा जारी सिटीजन चार्टर अनुसार निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन समय सीमा में किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है। तथा जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन समय सीमा में नहीं किये जाने पर उनके विरुद्ध म. प्र. सिविल सेवा आचरण नियमो के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है जिसका इन्द्राज सम्बंधित की सेवा अभिलेख में किया जाता है।

VI. **ऐसे दस्तावेजो के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गो का विवरण-**

औषधि निरीक्षक –

औषधि लायसेंस रजिस्टर, नमूना रजिस्टर, अवमानक औषधियों से सम्बंधित दस्तावेज एवं नस्तियां, निरीक्षण रिपोर्ट्स आदि।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी –

लायसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के आवेदनों का ऑनलाइन वेरिफिकेशन करना एवं जारी करना, नमूना रजिस्टर, न्यायालयीन प्रकरणों से सम्बंधित रजिस्टर एवं नस्तियां आदि।

VII. **किसी व्यवस्था की विशिष्ठियाँ जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान-**

निरंक

VIII. **ऐसे बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमे दो या अधिक व्यक्ति है जिनका उसके भाग के रूप में या इस बारे सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है की क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकाय की बैठके जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्ततक जनता की पहु च होगी-**

निरंक

IX. **अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका-**

शासन स्तर पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकार उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला बड़वानी को सौपे गए है। जिसके तहत शासन द्वारा समय समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन अपने अधीन अधिकारियों एवं कर्मचारियों से करवाए जाते है। शेष अधिकारी एवं कर्मचारी सम्बंधित अधिनियम में वर्णित अपने दायित्वों एवं वरिष्ठ स्तर से सौपे गए दायित्वों का निर्वहन करते है।

X. अपने प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमे उसके विनियमों में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है-

कार्यालय उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन में कार्यरत प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी की अद्यतन जानकारी तैयार की जाकर कार्यालय रिकॉर्ड में राखी गयी है।

XI. सभी योजनाओ, प्रस्तावित व्ययों और किये गए संवितरणों पर रिपोर्ट की विशिष्ठियाँ उपदर्शित करते हु ए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट-

निरंक

XII. सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमे आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रम के फायदाग्राहियो के ब्यौरे सम्मिलित है-

निरंक

XIII. अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनु ज्ञापत्रों या प्राधिकारो के प्राप्तिकर्ताओ कि विशिष्ठियाँ-

निरंक

XIV. किसी इलेक्ट्रोनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो-

खाद्य पदार्थो के क्रय विक्रय एवं निर्माण से सम्बंधित लायसेंस एवं रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड अभिहित अधिकारी एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अधिकृत अकाउंट पर एवं औषधि खेरची एवं थोक औषधि विक्रय संस्थानों के क्रय विक्रय से सम्बंधित जारी अनुग्यप्तियो का रिकॉर्ड औषधि निरीक्षक के अधिकृत अकाउंट पर संधारित है।

XV. सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिको को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्ठियाँ, जिनके अनतर्गत किसी पुस्तकालय या वाचानाकक्ष के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है-

लोक उपयोग हेतु सूचना अभिप्राप्त करने के लिए कोई भी आवेदक कार्यालय उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला- बड़वानी में कार्यालयीन दिवस में नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर जानकारी प्राप्त कर सकता है।

XVI. लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्ठियाँ-

1.	लोक सूचना अधिकारी (औषधि)	अलकेश यादव
		औषधि निरीक्षक
		मोबाईल नं. - 78050-31988
2.	लोक सूचना अधिकारी (खाद्य सुरक्षा)	हीरालाल अवास्या
		मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी
		मोबाईल नं. - 94796-00911
3.	सहायक लोक सूचना अधिकारी (खाद्य सुरक्षा)	व्ही.एस. मोरी
		खाद्य सुरक्षा अधिकारी
		मोबाईल नं. - 94245-68701
4.	प्रथम अपीलीय अधिकारी	डॉ. व्ही.बी. जैन
		मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (पदेन) उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन
		मोबाईल नं. - 78795-49851
		दूरभाष - 07290-222056

XVII. ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए-

ऐसी कोई अन्य सूचना कार्यालय में नहीं है जो विहित की जाए।

उप संचालक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
जिला- बड़वानी